The 2nd January, 1987

No. 245/152-L(Drg).—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed urgently, by the Government, at public expence, for a public purpose i. e. for constructiug Bishan ring bund from K. M. 1.850 to 2.261 in village Beri-Khas tehsil Jhajjar district Rohtak, for which a notification has been issued under section (4) and published,—*vide* Haryana Government, Irrigation Department notification No. 1006/152-L dated 15th July, 1985 in Haryana Government Gazette, Part-I.

It is hereby declared that the land described for the specification below is required urgently for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of section (6) of the Land Acquisition Act, 1894 for information to all whom it may concern.

Plans of the land may be inspected in the Office of the Land Acquisition Officer Rohtak and the Executive Engineer, Jhajjar Drainage Division, Jhajjar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Village	Hadbast No.		Area in acres	Directions Rect. No.	Killa No
						A strip of land 8.32 Mtr. in width 0.411 Mtr. in length generally lying in the direction from West-East to South.	
Rohtak	Jhajjar	Beri-Khas	128		0.85	2 3 G. M.	25 21, 22, 18 Rasta 288.
				Total	0.85	As shown on the Index Plan and demarcated at site.	

By the order of the Governor of Haryana,

B. R. DUA,

Superintending Engineer,
Drainage Circle, Rohtak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 19 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/गुड़गांवा/141-86/48128.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरैक्टर दी महेन्द्र गढ़ सैन्ट्रल को-ओप्रेटिव बैंक लि०, महेन्द्रगढ़, के श्रमिक श्री राम किशन, पुत्र श्री धमन राम, मौहल्ला केयानपुरा महिन्द्रगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,
उप सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।